न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, RAS

पत्रावली संख्या : **166/14 (प्रा0पत्र)**

प्रकरण दर्ज दिनांकः 01.09.2014 **निर्णय दिनांक : 16.04.2018**

अनवान्

1. श्री उदा उर्फ उदेराम पिता गोकल गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
2. श्री नारायण पिता गोकल गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती भेरी पुत्री मांगु गाडरी निवासी मोडा खेडा, तह. कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. श्रीमती अमरी बेवा मांगु गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
3. श्री मोहन पिता उंकार गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
4. श्री छगना पिता उंकार गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
5. श्रीमती कंकु पिता कालु गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
6. श्रीमती भूरी पिता कालु गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
7. श्री गोपीलाल पिता देवा गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
8. श्री रोशनलाल मुतबन्ना रूपा ना.बा.ब.वि. पिता बद्रीलाल गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
9. श्री उदा पिता भेरा गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
10. श्री गंगाराम मुतबन्ना भगवान गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
11. श्री जीतू पिता केला गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
12. श्रीमती सोवनी पिता केला गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
13. श्रीमती अनछाई पिता केला गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
14. श्रीमती जेतीबाई पुत्री भूरा गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
15. श्रीमती उदीबाई पत्नी भूरा गाडरी निवासी मोरठ तह. मावली।
16. श्री राजेन्द्र कुमार पिता जीतमल गाडरी निवासी रेवलियाकलां तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ़।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 16 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.04.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मोरठ पटवार क्षेत्र फतहनगर में निम्नांकित कृषि आराजीयात स्थित हैं। ''परिशिष्ट अ'' में वर्णित आराजी नम्बर 931, 932, 941, 942, 945, 946, 948, 1059, 1060 किता 9 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा।

उपरोक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के नाम 2/3 हिस्सा बराबर, विपक्षी सं. 1 के नाम 1/6 एवं विपक्षी सं. 16 के नाम 1/6 हिस्सा के अनुसार अंकित हैं। ताईद में चालू जमाबन्दी की सच्ची प्रतिलिपी प्रस्तुत हैं। ''परिशिष्ट ख'' में अंकित आराजी नम्बर 943, 944, 956 किता 3 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा। उपरोक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के नाम 1/6 हिस्सा बराबर, विपक्षी सं. 1 के नाम 1/24 हिस्सा, विपक्षी सं. 16 के नाम 1/24 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 से 6 के नाम 1/12 हिस्सा बराबर, विपक्षी सं. 7 से 8 के नाम 1/8 हिस्सा बराबर, विपक्षी सं. 9 से 13 के नाम 1/32 हिस्सा बराबर, विपक्षी सं. 11, 14, 15 के नाम 1/2 हिस्सा बराबर के अनुसार अंकित है। ताईद में चालू जमाबन्दी की सच्ची प्रतिलिपी प्रस्तुत हैं।

2. प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1, 2 एक ही परिवार के सदस्य होकर उनका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैं :–

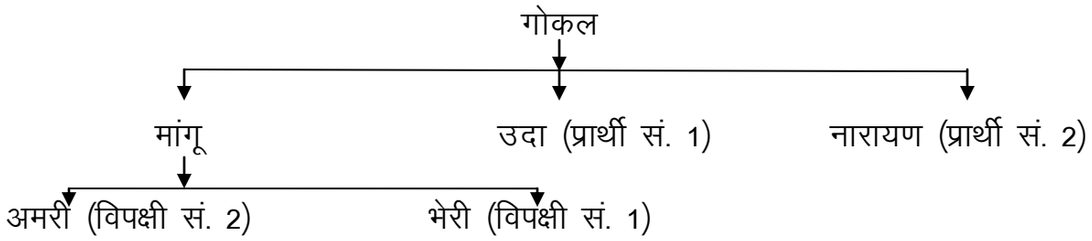

उपरोक्त वंश वृक्ष के अनुसार मूल पुरूष श्री गोकल जी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके तीन पुत्र प्रार्थीगण एवं श्री मांगु हुए। श्री मांगू जी का भी स्वर्गवास हो चुका है जिससे उसके वारिस उनकी पत्नी श्रीमती अमरी विपक्षी सं. 2 एवं पुत्री भेरी विपक्षी सं. 1 मौजूद हैं।

3. ''परिशिष्ठ क'' में वर्णित आराजीयात स्व. श्री गोकल जी के खातेदारी की थी जिससे उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके तीनों पुत्र सर्वश्री मांगू, उदा एवं नारायण में 1/3, 1/3 हिस्सानुसार निहित हुई। इसी प्रकार ''परिशिष्ठ ख'' की सम्पति में स्व. गोकल का 1/4 हिस्सा था जो उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके तीनों पुत्रों मांगू, उदा एवं नारायण में हिस्सा बराबर अनुसार निहित हुआ। स्व. गोकल के पुत्र श्री मांगु का भी देहावसान हो चुका हैं।
4. स्व. श्री मांगू उसके जीवनकाल में आर्थिक रूप से काफी निर्धन हो गया था। जिससे उसने प्रार्थीगण से कहा कि वो उसकी पुत्री विपक्षी सं. 1 की शादी करावें एवं इसके बदले में वादग्रस्त आराजीयात में श्री मांगू का हक व हिस्सा प्रार्थीगण में निहित हो जावेगा। इस प्रकार की कार्यवाही समस्त पंचों के समक्ष की गयी। जिसके आधार पर विपक्षी सं. 1 की शादी प्रार्थीगण द्वारा अपने खर्चे से करवाई गई। तत्पश्चात् श्री मांगू का देहावसान हो गया। विपक्षी सं. 1 अपने ससुराल मोडा खेडा, तह. कपासन में निवास कर रही है तथा उसके विवाह का समस्त खर्चा प्रार्थीगण द्वारा वहन किया गया था। जिससे विपक्षी सं. 1 ने समस्त समाज के समक्ष यह घोषणा की थी कि उसका अपने पिता श्री मांगू की सम्पति से कोई लेना देना नहीं है तथा वह श्री मांगू की समस्त सम्पति में अपने हकों का त्याग करती हैं। इतना ही नही उपरोक्त कार्यवाही की पुष्ठि में विपक्षी सं. 2 द्वारा तो रजिस्टर्ड हक त्यागपत्र द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी सं. 1 के पक्ष में त्याग दिया गया। जिससे अब विपक्षी सं. 1, 2 का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक, खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं।
5. विपक्षी सं. 1 द्वारा स्व. श्री मांगु की सम्पति में अपने हकों का त्याग कर देने से एवं मांगु द्वारा अपने हक एवं हिस्सें की सम्पति को प्रार्थीगण को दे देने से मांगु की समस्त सम्पति के एक मात्र अधिकारी प्रार्थीगण हो गये है। जिससे प्रार्थीगण उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित ''परिशिष्ठ क'' की सम्पूर्ण आराजीयात के हिस्सा बराबर से खातेदार,

काश्तकार बन गये है। मौके पर भी इसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हैं किन्तु राजस्व अभिलेखों में इस बाबत् अंकन नहीं हो पाने से एवं स्वत्र मांगु की मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में विपक्षी सं. 1, 2 का नाम भी अंकित हो गया हैं।

6. विपक्षी सं. 1 द्वारा स्व. श्री मांगु के सम्पति में अपने समस्त हकों का त्याग कर दिया गया था एवं विपक्षी सं. 1 अपने ससुराल गांव मोडाखेडा, तह. कपासन में निवास कर रही है जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में मौके पर विपक्षी सं. 1 का भौतिक आधिपत्य भी नहीं हैं किन्तु राजस्व अभिलेखों में श्री मांगु की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 1 का नाम भी दर्ज हो जाने से विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित ''परिशिष्ठ क'' की सम्पति के 1/6 हिस्सें एवं ''परिशिष्ठ ख'' की सम्पति के 1/24 हिस्सें को अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य का बताते हुए एक नुमायशी विक्रय पत्र विपक्षी सं. 16 के पक्ष में दिनांक 25.03.2014 को प्रार्थीगण की पीठ पिछे निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया गया जिसका कि विपक्षी सं. 1 को कोई अधिकार नहीं था। मौके पर भी कोई कब्जा विपक्षी सं. 16 को सुपूर्द नहीं किया गया, न कब्जा सुपूर्द किया ही जा सकता था। इस कारण से आधिपत्य विहीन विक्रय पत्र नुमायशी होकर प्रार्थीगण के विरूद्व शून्य प्रभावी दस्तावेज हैं। इस प्रकार के विक्रय पत्र से विपक्षी सं. 16 को वादग्रस्त आराजीयात में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।
7. उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की सम्पूर्ण आराजीयात के एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजीयात के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी है किन्तु राजस्व अभिलेखों में इस बाबत् अंकन नहीं हो पाने से प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1, 2 एवं 16 से कहा गया कि वे राजस्व अभिलेखों में इस बाबत् अंकन करावें किन्तु विपक्षी सं. 1, 2 एवं 16 ने मना कर दिया जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकरों पर कुठाराघात हो रहा हैं। इस कारण प्रार्थीगण को घोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत करने पर विवश होना पडा हैं।
8. विपक्षी सं. 16 द्वारा विपक्षी सं. 1 से करवाये गये नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त सम्पति में जबरन कब्जा किया जाना चाहा जा रहा है एवं इस हेतु विपक्षी सं. 16 आए दिन प्रार्थीगण को धमकियां देता रहता है कि वह एन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे की आराजीयात से जबरन बेदखल करके रहेगें एवं विपक्षी सं. 16 अपने नाम हुए नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजीयात को अन्य भू–माफिया के व्यक्तियों को विक्रय कर देगा जिससे विपक्षी सं. 16 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। विपक्षी सं. 16 द्वारा इस प्रकार की धमकियां दिये जाने से प्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र हेतु बिनाय उत्पन्न हुआ। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अशोधनीय हानि होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी सं. 1, 2 एवं 16 के विरूद्व आज ही इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावें कि मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1, 2 एवं 16 जबरन कब्जा नहीं करें, न ही प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करें, न ही उसके नाम अंकित आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें, न ही प्रार्थीगण के आधिपत्य में कोई बाधा पैदा करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावें एवं राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2, 3, 9, 11 से 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही

के आदेश पारित किए गयें। विपक्षी सं. 1 एवं 16 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय आप में अवश्य प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थीगण को उसमें तनिक भी सफलता मिलने की संभावना नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी अपने हिस्सें से अधिक पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है, प्रार्थीगण सह खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए प्रार्थना पत्र एवं वाद चलने योग्य नहीं हैं। इसमें उल्लेखित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 खातेदार थी जिसने अपना हिस्सा बेंच दिया, जो विपक्षी सं. 16 राजेन्द्रकुमार ने खरीद लिया। विपक्षीयां श्रीमती भेरी ने जमीन विक्रय की तथा जिस पर उसका कब्जा था उस जमीन का कब्जा मुझ राजेन्द्रकुमार को दिया उस पर मैं काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं। मांगु स्वयं खातेदार था जिसके मरने के बाद उनके वारिसों के जमीन आई जो सही आई तथा वारिसों ने अपनी इच्छानुसार जमीन हस्तान्तरित की जो उनका अधिकार था, इसमें कानूनन क्या गलत हुआ। विपक्षी सं. 1 के हिस्से वाली जमीन पर मैं विपक्षी राजेन्द्रकुमार बतोर खातेदार काश्तकार काबिज हुं। बाकी सारी ईबारत मिथ्या अंकित की हैं। विपक्षी सं. 1 ने अपना हिस्सा हक त्याग नहीं किया हैं। मुझ विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थीगण को कोई हक त्याग जमीन का नहीं किया हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। विपक्षी सं. 1 ने अपने हिस्सें की जमीन को विपक्षी सं. 16 राजेन्द्रकुमार को विक्रय किया तथा हिस्सें व कब्जे वाली जमीन का कब्जा सिपूर्द किया तभी से राजेन्द्रकुमार का कब्जा हैं। राजेन्द्रकुमार के नाम जमीन खातेदारी हक से दर्ज है। विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार ही नहीं रहीं हैं उसे गलत पक्षकार बनाया गया हैं।

10. विपक्षी सं. 1 को किसी ने भी बहकाया फुसलाया नहीं हैं। प्रार्थीगण ने झूठें आरोप लगाये हैं। विपक्षी सं. 1 ने अपने काबिज हिस्सें की जमीन को सिपूर्द किया है, बेचान की रजिस्ट्री कराई सही कराई हैं। क्रेता को उसके क्रय सुदा जमीन के भूभाग से बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा उसके उपयोग उपभोग से भी वंचित नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षी सं. 1 ने अपने हिस्सें की जमीन राजेन्द्रकुमार को विक्रय की तथा मौके पर काबिज जमीन का कब्जा सिपूर्द किया राजेन्द्रकुमार ही खातेदार काश्तकार हैं, विपक्षी सं. 1 का अब जमीन से काई लेना देना नहीं है, विपक्षी सं. 1 को तंग परेशान करने की गरज से झूठा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं। मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। विपक्षी सं. 1 वादगत जमीन की खातेदार काश्तकार ही नहीं रही हैं ऐसी स्थिति में मेरे एवं प्रार्थीगण के मध्य बंटवारा कैसे कराया जा सकता हैं। प्रार्थीगण ने जिस तरह बंटवाडा करवाना चाहा हैं उतना हिस्सा उनका बनता ही नहीं हैं।
11. कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से तक की जमीन हेतु निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होता है, अन्य के हिस्सें की जमीन के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने का तनिक भी अधिकारी नहीं होता हैं। प्रार्थीगण ने तो पूरा प्रार्थना पत्र ही मिथ्या अंकित किया हैं। मुझ विपक्षी सं. 1 ने विक्रय मूल्य लेकर राजीखुशी विक्रय की रजिस्ट्री करवाई है जो विपक्षी राजेन्द्रकुमार से रूपया लेकर करवाई है तथा राजेन्द्रकुमार को जिस जमीन पर मुझ भेरी का कब्जा था उस जमीन का कब्जा सिपूर्द किया हैं। जमाबन्दी में जो खातेदार है तथ्ज्ञा उनके नाम दर्ज हिस्से अनुसार जमीन का बंटवारा आज ही कर दिया जावें। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मिथ्या गलत होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सभी के विरूद्व प्रस्तुत किया है ताकि मामला लम्बा चलता रहे, जबकि इश्तदुआ सभी के विरूद्व नहीं चाही गई है। मुझ विपक्षी सं. 1 को गलत पक्षकार बनाया है जिसका विशेष हर्जा खर्चा दिलवाया जावें।
12. पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 2, 16 के विरूद्व ही अनुतोष चाहने से प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा

अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस मय नजीर RRT 2009 Page 25ए RRD 2004 Page 65 पेश कर प्रकरण को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित बिन्दुओ पर निम्नानुसार विवेचन हैः–

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण**ः– वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 16 राजेन्द्र कुमार के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादी स. 1 भेरी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.03.2014 को प्रतिवादी सं. 16 को किया जाकर कब्जा सिपूर्द करना बताया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी सं. 16 भूमि क्रय कर खातेदार बना है एवं पूर्ण प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है प्रतिवादी सं. 16 सदभावी क्रेता है। अतः विपक्षी प्रार्थना ग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति** :– विपक्षी सं. 1 ने अपनी पैतृक भूमि में अपना हिस्से को विपक्षी सं. 16 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय किया जाने से विपक्षी सं. 16 वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना ग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष गोकल जी हुए जिनके तीन पुत्र मांगु, उदा, नारायण हुए। मांगु फौत होने से उसके वारिस विपक्षी सं. 1 व 2 है। विपक्षी सं. 2 द्वारा अपना हिस्सा की भूमि को प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग करना बताया। विपक्षी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.03.2014 को विपक्षी सं. 16 को विक्रय कर दी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी सं. 16 खातेदार काश्तकार होकर सद्भावी क्रेता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन भी खातेदार के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी खातेदार नहीं होने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति विपक्षी सं. 16 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली